न्यायालयः सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 :- 177/2017

अनवान

राकेश पुत्र मोहनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी घेऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- वादी

बनाम

1. मोहनलाल पुत्र रामेश्वर लाल जाति ब्राम्हण निवासी घेऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. सरोज पुत्री मोहनलाल जाति ब्राम्हण निवासी घेऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा जिला हनुमानगढ़।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत खातेदार घोषित करने हेतु घोषणात्मक वाद अन्तर्गत धारा 88, राज0काश्त0अधिनियम 1955

उपस्थिति : वकील श्री श्रवण सहारण : वादी

निर्णय **दिनांक :**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि गांव घेऊ के खाता सं0 52/55 के खसरा सं0 29/1 की 2.763 है0 खसरा सं0 369/3 की 3.795 है0 खसरा सं0 384 की 3.610 है0 इस प्रकार खाते का कुल योग 10.168 है0 बारानी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसमें प्रतिवादी सं0 1 मोहनलाल का 1/4 हिस्सा दर्ज है

प्रतिवादी सं0 1 मोहनलाल को उपरोक्त कृषि भूमि अपने पिता रामेश्वर से विरासतन प्राप्त हुई है उपरोक्त कृषि भूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की पैतृक व दादालाई सम्पति है जिसमें मुझ वादी राकेश का व प्रतिवादीया सं0 2 सरोज का जन्म से हक व हिस्सा है उपरोक्त कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम महज परिवार का कर्ता खानदान होने के कारण राजस्व रिकार्ड में दर्ज है पैतृक कृषिभूमि बाबत जमाबन्दी सम्वत् 2043 व सम्वत् 2051 संलग्न वाद है।

प्रतिवादी सं0 3 सरोज की शादी आज से काफी समय पुर्व बड़े धूम धाम से कर दी थी वह अपने ससुराल में आबाद है व उन्होने अपना हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में परित्याग कर दिया है एवं ना ही उन्होने कभी भी उपरोक्त भूमि को काश्त किया है उपरोक्त कृषि भूमि को हम दोनों वादी व प्रतिवादी सं0 2 बराबर बराबर काश्त करते है व दोनों अपने हिस्से के अनुसार लगान आदि अदा करते है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने इकबालदावे पेश किये व प्रतिवादी सं0 3 पेरोकार राज ने जबाबदावा पेश किया।

बहस वकील वादी सुनी गई। वकील वादी ने अपनी बहस में कथन किया कि कृषि भूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की पैतृक व दादालाई सम्पति है। अत : वाद वादी डिक्री फरमाया जावे।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने ग्राम घेऊ के खाता सं0 52/55 में अपने पिता नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने जो फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी ग्राम घेऊ सम्वत् 2043 व सम्वत् 2051 प्रदर्श 3 व 4 प्रदर्शित करवाये है उनमें वाद भूमि वादी के दादा रामेश्वर पुत्र पन्ना के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिससे विवादित कृषि भूमि दादालाई पैतृक कृषि भूमि होना व विवादित आराजी में वादी का जन्म से हक हिस्सा होना साबित है एंव प्रदर्श 1 वारिस प्रमाण पत्र में प्रतिवादी सं0 1 मोहनलाल के मौजूदा वारिसान में पत्नी सन्तो देवी, एक पुत्री सरोज व एक पुत्र राकेश होना व इसके अलावा कोई अन्य वारिस नहीं होना दर्शाया गया है।

अत : वाद वादी डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि गांव घेऊ के खाता सं0 52/55 के खसरा सं0 29/1 की 2.763 है0 खसरा सं0 369/3 की 3.795 है0 खसरा सं0 384 की 3.610 है0 इस प्रकार खाते का कुल योग 10.168 है0 बारानी कृषि भूमि में वादी राकेश 1/8 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 मोहनलाल 1/8 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीया सं0 2 सरोज ने अपने हक हिस्सा की कृषि भूमि को वादी व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में त्याग दिया है। इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व वाद भूमि बैंक रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18/12/12 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालयः सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 :– 177/2017

अनवान

राकेश पुत्र मोहनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी घेऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– **वादी**

बनाम

1. मोहनलाल पुत्र रामेश्वर लाल जाति ब्राम्हण निवासी घेऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. सरोज पुत्री मोहनलाल जाति ब्राम्हण निवासी घेऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा जिला हनुमानगढ़।

– **प्रतिवादीगण**

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा के समक्ष वकील वादी श्री श्रवण सहारण की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं दावा वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि गांव घेऊ के खाता सं0 52/55 के खसरा सं0 29/1 की 2.763 है0 खसरा सं0 369/3 की 3.795 है0 खसरा सं0 384 की 3.610 है0 इस प्रकार खाते का कुल योग 10.168 है0 बारानी कृषि भूमि में वादी राकेश 1/8 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 मोहनलाल 1/8 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीया सं0 2 सरोज ने अपने हक हिस्सा की कृषि भूमि को वादी व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में त्याग दिया है। इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व वाद भूमि बैंक रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 18/10/17 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़